निःशक्त व्यक्ति समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 का राजपत्र के अध्याय-2 के अनुसार विवरण है —

विशिष्टता और पूर्वगामी सम्बन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय समन्वय समिति निम्नलिखित कृत्यों में से सभी या किन्हीं का अनुपालन पर सकेगी, अर्थात् —

(1) सरकार के सभी ऐसे विभागों और अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के जो निःशक्त व्यक्तियों से सम्बंधित हैं क्रियाकलापों का पुनर्विलोकन और समन्वय करना।

(2) निःशक्त व्यक्तियों के सामने आने वाली समस्याओं का हल ढूँढने के लिए राष्ट्रीय नीति विकसित करना।

(3) निःशक्त की नीतियों कार्यक्रम, विधान और परियोजनाएँ तैयार करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना।

(4) दाता अभिकरणों के साथ मुलाकात करके उनकी विधि जुटाने की नितियों का निःशक्त व्यक्तियों पर उनका प्रभाव के परिप्रेक्ष्य

Sunday 05

Important Calls ✓ Things to Do ✓ Meetings ✓

में पुनरावलोकन करना।
⑤ सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों, जन सुविधा स्थलों, विद्यालयों और संस्थाओं में बाधारहित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अन्य उपाय करना। ऐसे अन्य कृत्य करना जो केन्द्रीय सरकार विहित करे।

⑯ निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 का राजतंत्र के अध्याय-4 के अनुसार विवरण यों है —
निःशक्तता का निवारण और शीघ्र पता चलाया जाना —
① अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी निःशक्तता की आवृत्ति निवारण की दृष्टि से —
② निःशक्तता की आवृत्ति के कारण से सम्बंधित सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान करेंगे।
③ निःशक्तता का निवारण करने की विभिन्न पद्धतियों का संवर्धन करेंगे।
④ जोखिम वाले मामलों की पहचान के प्रयोजन के लिए वर्ष में कम से कम एक बार सभी बालकों की जाँच करेंगे।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कर्मचारियों
(i) को प्रशिक्षण देने की सुविधाओं की व्यवस्था
करेंगे।
साधारण स्वच्छता, और सफाई के प्रति
(ii) जागरूकता अभियानों को प्रायोजित करेंगे+
या जानकारी प्रकाशित करेगी।
(iii) माता और संतान की प्रसव पूर्व, प्रसव
कालीन और प्रसव पश्चात् देख - रेख के
लिए उपाय करेंगे।
(iv) विद्यालय पूर्व, विद्यालयों प्राथमिक स्वास्थ्य
केन्द्रों, ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं और आंगन
बाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को
शिक्षित करेंगे।
(viii) निःशक्तता के कारणों और अपनाये
जाने वाले निवारक उपायों पर टेलीविजन
रेडियो और अन्य जनसम्पर्क साधनों के
माध्यम से जन साधारण के मध्य जागरूकता
पैदा करेंगे।
निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण
और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 का
राजनीति के अध्याय - 5 के अनुसार विवरण
दी है —
समुचित सरकारों और स्थानीय प्राधिकारी
समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों
द्वारा निःशक्त बालकों के लिए निःशुल्क
शिक्षा आदि की व्यवस्था किया जाना —